



GOVT.HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE & HSPITAL
AYUSH Campus, beside Kaliasot, MACT Hills, Bhopal – 462003 (M.P.)

**CHECK LIST OF ORIGINAL DOCUMENTS REQUIRED AT THE TIME OF ADMISSION
IN ALL INDIA QUOTA COUNSELLING AT M.D (HOM.) COURSE FOR THE ACADEMIC
YEAR 2025 – 26.**

AFFIX SAME
PHOTOGRAPH
AT THE
TIME OF
APPLICATION

Admission No:..... Round:..... Date:.....

Subject:.....

1. Name of the student.....
2. Father's Name.....
3. Mother's Name.....
4. Category: UR/SC/ST/OBC/PwD/EWS.....
5. Complete permanent address with pin
code:.....
.....
.....
6. Complete present address with pin
code:.....
.....
.....
7. Other descriptions: -

S.No.	List of original documents necessary at the time of admission along with one set of self attested photocopies of each original	Enclosed (Yes/No)	Remark if any
1	Provisional Allotment letter issued by AACCC.		
2	AIAPGET – 2025 Admit Card issued by NTA.		
3	AIAPGET – 2025 Result/Rank letter issued by NTA		
4	Mark Sheet of Higher Secondary.		
5	Mark Sheets of BHMS 1 st , 2 nd , 3 rd & 4 th professional examination.		
6	BHMS Degree Certificate.		
7	Internship Completion Certificate.		
8	Permanent		
9	Date of Birth Certificate. [If Matric (10 th) Certificate does not bear the same.]		
10	Proof of identity (Aadhar/ PAN/ Driving License/ Passport/ Voter ID)		
11	Medical Certificate issued by Registered Medical Practitioner in prescribed format as attached in Annexure-VI.		



12	Disability Certificate issued from a duly constituted and authorized Medical Board for 21 Benchmark Disabilities as per the Rights of Persons with Disability Act, 2016. <i>No other PwD certificate, issued by any other Authorities/ Hospital will be entertained.</i>		
13	SC/ST Certificate, issued by the competent authority, should be in English or Hindi language. Sub caste should be clearly mentioned in the certificate. Certificate should be <i>as per the prescribed format of Government of India.</i>		
14	OBC certificate issued by the Competent Authority. The sub-caste should tally with the Central List of OBC. The OBC candidates should not belong to Creamy Layer. The OBC certificate must be as per the prescribed format of Government of India.		
15	Economically Weaker Section (EWS) certificate issued by the Competent Authority.		
16	08 Passport size photograph same as affixed on the application form		
17	Transfer Certificate		
18	Character Certificate		
19	Migration Certificate		
20	Seat leaving Bond		
21	Mobile no. of student		
22	Mobile no. of Father/Mother:		
23	Email - id :		

(Name& Signature of Candidate)

The admission committee recommend for provisional admission in M.D (Hom.) course in the subject -----
 ----- for academic session 2025 -26. It is instructed to college section of Govt. Homoeopathic Medical College and Hospital to collect all the original documents from serial no. 1-21 along with two sets. of duly self-attested photo copy from the students.

Dr. Neetu Kushwaha
 Professor cum Nodal Officer
 of Admission committee

Dr. Sarita Verma
 Professor & Member
 of Admission committee

Dr. Vijay Baraiya
 Professor & Member
 of Admission committee

Dr. Umesh Masram
 Associate Professor & Member
 of Admission committee

Dr. S.K. Mishra
 Counter signed by Principal & C.E.O.

गैर सेवारत अभ्यर्थियों का सीट लीविंग बॉर्ड

(रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाये) मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉर्ड का प्रारूप

- 1 - मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
- 2 - मैंने मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परीक्षा नियम 2020 को गंभीरतापूर्वक पढ़ लिया है।
- 3 - मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।
- 4 - मैं एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
- (1) यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी/रहूँगा।
- (2) यह कि अंतिम चरण की पी.जी. कार्ससलिंग 2025 में एम.डी. (होम.) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती/करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती/देता हूँ और किसी अन्य छात्रा/छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में मैं रु. 5.00 लाख (कुल पाँच लाख मात्र) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्धदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु बाध्य रहूँगी/रहूँगा एवं अगले 03 वर्षों (तीन वर्षों) तक मुझे प्रदेश के किसी भी शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जावेंगे।
- (4) यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में राज्य होम्योपैथी परिषद मध्यप्रदेश भोपाल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :- 1 हस्ताक्षर..... गवाह :- 2 हस्ताक्षर.....
नाम..... नाम.....
पता..... पता.....
दिनांक..... दिनांक.....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि की वसूली मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी।

हस्ताक्षर अभिभावक

गवाह :- 1 हस्ताक्षर..... गवाह :- 2 हस्ताक्षर.....
नाम..... नाम.....
पता..... पता.....
दिनांक..... दिनांक.....



शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

आयुष परिसर, कलिया सोत डेम के किनारे, एम.ए.सी.टी. हिल्स, भोपाल
कमांक/कालेज/पी.जी.शुल्क/25/ 7532-39

भोपाल, दिनांक: 18/09/25

:: आदेश ::

मध्य प्रदेश शासन, आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल के राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम एवं स्वशासी कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अनुमोदित शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिये स्नातकोत्तर (एम.डी.होम्योपैथी) पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार शुल्क का निर्धारित की गई है:-

क्र०	शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	शिक्षण शुल्क	45,000-00	45,000-00	45,000-00
2.	स्टूडेंट फण्ड	5,000-00	5,000-00	5,000-00
3.	प्रवेश शुल्क प्रथमवार प्रवेश के समय	5,000-00	—	—
4.	वि० वि० अन्य प्रभार सहित	10,000-00	10,000-00	10,000-00
5.	नामांकन, पात्रता (छात्रों द्वारा वि.वि.में सीधे जमा किया जावेगा)	—	—	—
6.	भवन निर्माण/संधारण प्रथम बार प्रवेश के समय	10,000-00	—	—
7.	विकास	10,000-00	10,000-00	10,000-00
8.	शैक्षणिक भ्रमण	5,000-00	5,000-00	5,000-00
9.	अनुसंधान शोध	—	25,000-00	—
10.	आई.टी.नेट, कम्प्यूटर आदि	1,000-00	1,000-00	1,000-00
	योग	91,000-00	1,01,000-00	76,000-00
	वापसी योग्य लगने वाली शुल्कें			
1.	महाविद्यालय सुरक्षा निधि रुपये 10,000-00	10,000-00	—	—
2.	छात्रावास सुरक्षा निधि (सिर्फ छात्रावास में निवासित छात्रों हेतु)	—	—	—
3.	छात्रावास शुल्क(सिर्फ छात्रावास में निवासित छात्रों हेतु)	—	—	—

उपरोक्त निर्धारित शुल्क स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.डी.-होम्योपैथी में शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी।

प्रधानाचार्य एवं सी.ई.ओ.
शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय भोपाल (म.प्र.)
भोपाल, दिनांक: 18/09/25

पृ. कमांक/कालेज/पी.जी.शुल्क/25/ 7532-39

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 श्रीमान् प्रमुख सचिव महो०, मध्य प्रदेश शासन, आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2 श्रीमान् आयुक्त महो० भोपाल संभाग भोपाल एवं मान० अध्यक्ष स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 3 श्रीमान् आयुक्त महोदय, संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल।
- 4 डॉ. निधि गुप्ता, उप संचालक संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश मो०न० 9407101108
- 5 डॉ. अनन्त सिंह गौर, प्रमारी बेवसाइट की ओर भेजकर लेख है कि आदेश को महाविद्यालय की बेवसाइट www.ghmcbhopalayush.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 6 लेखा कक्ष/शुल्क संधारण कक्ष/स्थापना कक्ष, स्थानीय महाविद्यालय भोपाल।
- 7 नोटिस बोर्ड में प्रदर्शनार्थ-शिक्षण सत्र 2025-26 से एम.डी. होम पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संज्ञानार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप सभी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क प्रवेश दिनांक से 30 दिवस के अंदर निवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा रुपये 20/-प्रतिदिवस के मान से प्रचलित विलम्ब शुल्क सहित राशि जमा करनी होगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा

प्रधानाचार्य एवं सी.ई.ओ.
शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय भोपाल (म.प्र.)